राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1425/2022

अजय कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस., राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.04.2022
आदेश की दिनांक : 23.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उप निरीक्षक के पद पर गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की जाकर समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी वर्तमान में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर ए.टी.एस. साइबर क्राइम एस.ओ.जी., जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से कांस्टेबल के पद पर दिनांक 30.11.2001 को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत हुई थी और उसे वर्ष 2013 में हैड कांस्टेबल के पद पर तथा वर्ष 2016 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी हैड कांस्टेबल ए.टी.एस. में कार्य कर रहा था, तब उसे केस अधिकारी के पद पर विशेष वाद संख्या 3/23.3.2014 आदेश दिनांक 06.08.2018 के द्वारा उसे केस अधिकारी के पद पर स्पेशल केस आदेश दिनांक 08.03.2019 के द्वारा नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को सभी वाद हल करने पर उसे टी.वी. चैनल के माध्यम से एवं पत्रकार मीडिया द्वारा प्रशंसा की गई और नियम 1989 के तहत गैलेंट्री पदोन्नति के लिए भी उसके आवेदन को भेजा गया, परंतु

गैलेंट्री पदोन्नति कांस्टेबल शिवपाल को दी गई। अपीलार्थी ने मामले की जांच के लिए अभ्यावेदन दिनांक 02.04.2021 को प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। जबकि नियम, 1989 के नियम 28(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई पुलिस कर्मी बहादुरी का कार्य या कोई विशेष कार्य करता है तो उसके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की जाती है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पद पर ना तो विचार किया और ना ही गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की। अपीलार्थी ने मौजोहीदीन आंतकवादी संगठन से संबंधित मामलों में सराहनीय कार्य किया, जिसकी टी.वी. चैनल मीडिया द्वारा प्रशंसा की गई और उस मामले को हल करने में भी पूरी बहादुरी से कार्य किया, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को गैलेंट्री पदोन्नति नहीं दी गई जबकि कांस्टेबल शिवपाल को गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की गई, जो अपीलार्थी की टीम में जांच के दौरान कार्य करता था। परंतु अपीलार्थी से संबंधित कोई गैलेंट्री पदोन्नति के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया, जो राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उप निरीक्षक के पद पर गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की जाकर समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2014 एवं कोर्ट केस नं. 83/2015 धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1980 एवं 6, 17, 18, 18ए, 18बी, 19, 20, 23 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, 120बी, 121, 121ए, 122, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना एसओजी, राजस्थान, जयपुर की सहायतार्थ श्री शिवपाल कांस्टेबल के नियोजन से पूर्व कुल 16 गवाहान के बयान न्यायालय में लेखबद्ध करवाए। तत्पश्चात् शिवपाल का इस प्रकरण में केस ऑफीसर की सहायतार्थ नियोजन किए जाने के बाद अपीलार्थी एवं श्री शिवपाल दोनों ने संयुक्त रूप से इस प्रकरण में गवाहान के बयानात न्यायालय में करवाए। अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक के पद पर हो जाने पर दिनांक 01.12.2019 को पी.टी.एस. जोधपुर पी.सी.सी. हेतु जा चुका था। इस प्रकार दिनांक 01.12.2019 को अपीलार्थी के पी.सी.सी. जाने से लगातार प्रकरण का फैसला दिनांक 30.03.2021 तक की महत्वपूर्ण अवधि में अनुसंधान अधिकारी के महत्वपूर्ण बयान एवं शेष बयान गवाहान, मुल्जिम बयान, जब्तशुदा माल की क्लोन कॉपी तथा प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का विश्लेषण कर प्रकरण में

मुल्जिमान के खिलाफ सम्पूर्ण साक्ष्यों का मुल्जिम बार चार्ट तैयार करते हुए 360 पेजों की लिखित बहस तैयार कर मार्फत लोक अभियोजक के माननीय न्यायालय में पेश करवाई एवं दो से तीन माह चली मौखिक बहस के दौरान मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले समस्त प्रकार के सवाल का न्यायालय में उसी दिन जवाब तैयार करवाकर पेश करवाना एवं उससे संबंधित कानून एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं अन्य समस्त उच्च न्यायालयों के रूलिंग पेश करवाई। इस संदर्भ में शिवपाल के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए विशेष पदोन्नति दिए जाने हेतु प्रकरण के लोक अभियोजक अनुशंषा प्राप्त हुई है और अनुशंषा करने के कारण अपीलार्थी समानता के आधार पर विशेष पदोन्नति नहीं मांग सकता। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल ना होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2001 में कांस्टेबल के पद पर और वर्ष 2013 में हैड कांस्टेबल के पद पर तथा वर्ष 2016 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर अपीलार्थी के तथ्यों एवं प्रत्यर्थी विभाग के जवाब को दृष्टिगत रखते हुए हम न्यायहित में यह समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य